

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक- 18274-277 /2015-16
सेवा में,

दिनांक- 31/03/16

प्रबन्धक,
सनवीम स्कूल, सराय जगन्नाथ रानी की सराय,
आजमगढ़।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सनवीम स्कूल, सराय जगन्नाथ रानी की सराय, आजमगढ़ को दिनांक-01 जुलाई, 2015 से दिनांक-30 जून, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा LKG से 8 तक के लिए अनन्तित मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ:-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करावेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।



Surve Asha
Principal, Surve Asha School, Azamgarh

(2)

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखना।
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई घर
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- 9- विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा संप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष-2015/.....) है। कृपया इसे नोट कर लें और इसे कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करत है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त:-

भवदीय,

de

(राकेश कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आजमगढ़।

- पृ०सं०/ /2015-16/ तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
 - 2- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
 - 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।



Prakash Kumar
Sunbeam School, Azamgarh

(राकेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आजमगढ़।



INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

Signature: P. R. Prasad
App No. 14273204
App Code: AZAMGARH
App Date: 08/09/2022
App Time: 03:46 PM
App Status: Active

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP90341882807797U
Certificate Issued Date : 08-Sep-2022 03:46 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14273204/ AZAMGARH SADAR/ UP-AZG
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1427320473235032657839U
Purchased by : PRAKASH KUMAR SO BHOLA PRASAD
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : PRAKASH KUMAR SO BHOLA PRASAD
Second Party : SUNBEAM SCHOOL AZAMGARH
Stamp Duty Paid By : PRAKASH KUMAR SO BHOLA PRASAD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 50
 (Fifty only)



Verification

Please write or type below this line




Manager
Sunbeam School, Azamgarh



Statutory Alert

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.ek.ekse.in by using e-Stamp Mode. For more details, please visit the website at www.ek.ekse.in. The details and its availability are as follows: Mode: For online use only.

Before
The Secretary
Central Board of Secondary level
Shiksha Kendra – 2, Community Centre
Preet Vihar, New Delhi – 110301

Affidavit


I, Prakash Kumar S/O Bhola Prasad - Manager, Sunbeam School Azamgarh, U.P. ,276207 state on oath as under:-

That the deponent is the Manager, Sunbeam School Azamgarh , 276207 and has already got RTE Recognition from the state w.e.f. 01/07/2015 to 30/06/2018 and as per G.O. No - 419/79-6-2013-18 (20)/91 that provisional recognition will be given for three years. During this period in case no fact is established to contradict the rules of recognition, then after the completion of three years period it will be deemed that the school has got permanent recognition.

1. I Prakash Kumar S/O Bhola Prasad - Manager, Sunbeam School Azamgarh, U.P. ,276207 hereby declare that Sunbeam School Azamgarh has not contradicted any rules of recognition.


Verification

I, Prakash Kumar the deponent do hereby verify that content of Para 1 of the affidavit are true to my personal knowledge which I believe to be correct. No part of it is false and nothing has been concealed. Verified on 08/09/2022 at Sadar District – Azamgarh, State. Uttar Pradesh. India.


Signature of Deponent




Manager
Sunbeam School, Azamgarh



प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक शर्तों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठावेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

2/11



Manager
Sunbeam School, Azamgarh
Maha...

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
21/5/18
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

एए/

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।



Manager
Sunbeam School, Azamgarh
mahesh